न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)

(पीठासीन अधिकारी –सुनील कुमार I आर.ए.एस.)

अपील संख्या:–2025/28 दर्ज तिथि:–27.05.2025

वादी	बनाम	प्रतिवादी
छोटूराम		सुमन देवी आदि
जरिये अधिवक्ता श्री जगदीश सिंह रावत		श्री शेरसिंह पूनियां

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश–09 नियम–04
सिविल प्रक्रिया संहिता–1908
निर्णय तिथि:–21.01.2026

–:निर्णय:–

आज यह पत्रावली प्रार्थना–पत्र सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–09 नियम–04 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के अन्तर्गत बाबत् निर्णय प्रस्तुत हुई। प्रकरण का सुक्ष्म एवं सारतः वृतान्त इस प्रकार है कि वाद संख्या 114/2019 अनुवान छोटूराम बनाम सुमन आदि निर्णय दिनांक 24.03.2025 को वादी ने सिविल प्रक्रिया संहिता–1908 के आदेश–09 नियम–04 सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत हाजा न्यायालय में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर रिस्टोर किये जाने निवेदन किया है। उक्त प्रार्थना पत्र का विवरण निम्न प्रकार है:–

1. उपरोक्त अनुवानी वाद सं. 114/2019 प्रार्थी वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसमें पैरवी जरिये अधिवक्ता जैरकार रही है।
2. प्रार्थी वादी गरीब मजदूरी पेशा व्यक्ति है जो मजदूरी व खेती कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता है।
3. गत तारीख पेशी 24.03.2025 से पूर्व से प्रार्थी वादी मजदूरी करने, रोजगार, कमाने खाने के लिये अहमदाबाद (गुजरात) गया हुआ था। प्रकरण में पैरवी जरिये अधिवक्ता जेरकार थी। प्रार्थी वादी से अपने अधिवक्ता के मोबाईल नम्बर गुम हो जाने के कारण प्रार्थी वादी अपने अधिवक्ता से सम्पर्क नहीं कर सका, इस कारण अधिवक्ता द्वारा No Instruction Plead कर दिया गया और माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी वादी का वाद No Instruction Plead एवं Non Complaince में खारिज कर दिया गया है।
4. प्रार्थी वादी द्वारा गत तारीख पेशी पर अधिवक्ता के मोबाईल नम्बर गुम हो जाने के कारण सम्पर्क नहीं कर सका जिसमें प्रार्थी वादी का कतई दोष नहीं है जबकि प्रार्थी वादी द्वारा अपने अधिवक्ता को पूर्ण रूप से हिदायत पैरवी की गई थी।
5. प्रार्थी वादी दिनांक 05.05.2025 को [illegible] आया और दिनांक 06.05.2025 को अपने अधिवक्ता से सम्पर्क किया [illegible] जानकारी प्रार्थी वादी को हुई

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:22:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

है जिस पर प्रार्थी वादी ने दिनांक 06.05.2025 को तुरन्त वाद खारिजी आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया और दिनांक 07.05.2025 को प्रमाणित प्रति प्राप्त कर यह रेस्टोरेशन आवेदन अन्दर मियाद ज्ञान व जानकारी के आधार पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। आवेदन की सुनवाई में कोई तकनीकी खामी ना रहे इसलिये प्रार्थी वादी मियाद माफी हेतु आवेदन मय शपथ-पत्र अलग से प्रस्तुत कर रहा है।

अतः न्यायालय के समक्ष आवेदन मय शपथ-पत्र प्रस्तुत कर अर्ज है कि प्रार्थी वादी का रेस्टोरेशन आवेदन न्यायहित में स्वीकार कर वाद सं. 114/2019 अनुवानी छोटूराम बनाम सुमन देवी आदि को पुनः वाजबा नम्बर पर लेकर सुनवाई किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

6. प्रकरण न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। पत्रावली में अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1 ने जवाब प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया है कि
7. मद संख्या 1 में उपरोक्त अनुवानी वाद संख्या 114/2019 प्रस्तुत करना स्वीकार है, बाकि तथ्य अस्वीकार हैं क्योंकि प्रार्थी बार-बार अधिवक्ता बदलना व पेशी पर हाजिर नहीं आया है।
8. मद संख्या 2 अस्वीकार है क्योंकि प्रार्थी मजदूरी करता है और गांव में ही रहा है।
9. मद संख्या 3 अस्वीकार है क्योंकि प्रार्थी अहमदाबाद (गुजरात) जाना बताया है जबकि ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में न्यायालय में पेश नहीं किया है।
10. मद संख्या 4 अस्वीकार है, क्योंकि प्रार्थी अपने प्रकरण की निगरानी हेतु स्वयं दायित्वधीन है।
11. मद संख्या 5 अस्वीकार है क्योंकि आवेदन देरी से पेश किया है और प्रार्थी दिनांक 05.05.2025 का अहमदाबाद से आने का कोई साक्ष्य नहीं है।
12. विशेष आपत्तियां :
    (क) प्रार्थी दावा दायर करने के बाद 2019 से 2025 तक न्यायालय में हाजिर नहीं आया तथा न्यायालय में कोई कार्यवाही समय पर नहीं की तथा बार-बार उक्त प्रकरण की ता. पेशी में अधिवक्ताओं को बदला है।
    (ख) प्रार्थी लगभग 6 साल से दावा में बिना युक्तियुक्त कारण के देरी कर रहा था। प्रार्थी बाहर जाना बता रहा है जबकि इस बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। वास्तविकता में प्रार्थी गांव में रह रहा था तथा जानबूझकर न्यायालय में उपस्थित नहीं आया था।
    (ग) प्रार्थना-पत्र अन्दर मियाद नहीं है तथा ना ही प्रार्थना-पत्र के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का कोई प्रार्थना-पत्र पेश किया है।

अतः जवाब प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का रेस्टोरेशन प्रार्थना-पत्र निराधार, बिना तथ्यों व सबूतों के पेश किया है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

- पत्रावली में प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस के दौरान प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थी वादी का रेस्टोरेशन आवेदन न्यायहित में स्वीकार कर वाद सं. 114/2019 अनुवानी छोटूराम बनाम सुमन देवी आदि को पुनः वाजबा नम्बर पर लेकर सुनवाई किये जाने के आदेश [illegible] के अधिवक्ता ने प्रार्थी का रेस्टोरेशन प्रार्थना-पत्र निराधार, बिना तथ्यों व स[illegible] किया है इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:22:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

- आज यह प्रकरण वाद संख्या 114 / 2019 अनुवानी छोटूराम बनाम सुमन देवी आदि में वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र आदेश 09 नियम 04 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत रेस्टोरेशन बाबत निर्णयार्थ प्रस्तुत हुआ। प्रार्थी वादी का कथन है कि दिनांक 24.03.2025 को उसकी अनुपस्थिति के कारण वाद खारिज हो गया। वादी का कहना है कि वह उस समय मजदूरी के उद्देश्य से अहमदाबाद (गुजरात) गया हुआ था तथा अधिवक्ता का मोबाइल नम्बर गुम हो जाने के कारण वह अधिवक्ता से संपर्क नहीं कर सका, जिसके परिणामस्वरूप वाद खारिज हुआ। वादी द्वारा यह भी कहा गया है कि उसे वाद ख़ारिज होने की जानकारी दिनांक 06.05.2025 को प्राप्त हुई तथा तत्पश्चात् उसने रेस्टोरेशन आवेदन प्रस्तुत किया है। अप्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत जवाब में रेस्टोरेशन प्रार्थना—पत्र पर आपत्ति करते हुए कहा गया है कि वादी वर्ष 2019 से लगातार न्यायालय में अनुपस्थित रहा है, बार—बार अधिवक्ता बदलता रहा है तथा वाद की कार्यवाही में जानबूझकर देरी करता रहा है। अहमदाबाद जाने के संबंध में वादी द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही यह भी आपत्ति ली गई है कि रेस्टोरेशन आवेदन अन्दर मियाद प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा मियाद माफी हेतु विधिवत् आवेदन भी प्रस्तुत नहीं किया गया। न्यायालय द्वारा पत्रावली का सूक्ष्म अवलोकन किया गया तथा दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह प्रमाणित हो सके कि वह वास्तव में दिनांक 24.03.2025 को अहमदाबाद (गुजरात) में उपस्थित था। मात्र कथन के आधार पर अनुपस्थिति को यक्तियुक्त कारण नहीं माना जा सकता। इसके अतिरिक्त यह भी प्रत्यक्ष है कि वादी द्वारा वाद दायर करने के पश्चात् दीर्घ अवधि तक न्यायालय कार्यवाही में रुचि नहीं ली गई तथा बार—बार अधिवक्ता बदलकर वाद की आगामी कार्यवाही में अनावश्यक विलंब किया गया। अभिलेख से यह भी स्पष्ट होता है कि वादी अपने वाद की समुचित निगरानी करने में असफल रहा है, जबकि वाद की पैरवी का दायित्व अंततः स्वयं वादी का होता है। अधिवक्ता से संपर्क न हो पाना अथवा मोबाइल नम्बर गुम हो जाना, इस प्रकार का कारण न्यायालय की दृष्टि में पर्याप्त एवं संतोषजनक कारण नहीं माना जा सकता। अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रार्थी वादी आदेश 09 नियम 04 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अपनी अनुपस्थिति हेतु युक्तियुक्त कारण स्थापित करने में असफल रहा है। परिणामस्वरूप रेस्टोरेशन प्रार्थना—पत्र निराधार एवं अस्वीकृत किये जाने योग्य है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थी द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता—1908 के आदेश—09 नियम—04 व 151 सी.पी.सी. के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना—पत्र निरस्त (खारिज) किया जाता है। फलस्वरूप, आवेदन संख्या 114 / 2019 अनुवानी छोटूराम बनाम सुमन देवी आदि में दिनांक 24.03.2025 को पारित आदेश यथावत् प्रभावी रहेगा।

यह निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 20.01.2026 को लिखवाया जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी किया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार— I) RAS
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:22:14 IST
Reason: SelfAttested